न्यायालय तहसीलदार बीकानेर

स्टेट बनाम खींयाराम आदि

मिसल नं0 01/19

निर्णय दिनांकः– 5/10/19

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मूण्डसर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल 1. श्री खींयाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट तथा 2. श्री चूनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मूण्डसर ने ग्राम मूण्डसर के खसरा नं0 1189 के तादादी 4 हैक्टेयर में नाजायज रूप से काश्त कर गैर मुमकिन राजकीय जोहड पायतान भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल/गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में ग्राम मूण्डसर की उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाना बताया। इस सम्बन्ध में पटवारी प0ह0 मूण्डसर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त खसरा नं0 1189 तादादी 4 हैक्टेयर भूमि पर गैर सायल 1 व 2 द्वारा अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि की। गैर सायल द्वारा अपने अतिक्रमण के बारे में कोई न्याय संगत जवाब नहीं दिया। अपने जवाब के साथ अन्य कोई ठोस सबूत पेश नहीं किये गये। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी ने जान–बूझकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल 1. श्री खींयाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट तथा 2. श्री चूनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मूण्डसर ने ग्राम मूण्डसर के खसरा नं0 1189 के तादादी 4 हैक्टेयर में नाजायज रूप से काश्त करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार गैर सायल 1. श्री खींयाराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट तथा 2. श्री चूनाराम पुत्र श्री मुकनाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम मूण्डसर को संयुक्त रूप से अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व कुल दर 5.8 का 50 गुणा राशि 290 रू0 का तावान से दण्डित किया जाता है । श्री खींयाराम व श्री चूनाराम से 145 रू0, 145 रू0 पटवारी प0 ह0 मूण्डसर तावान वसूल करें तथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर खडी फसल को कुर्क कर फसल नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त नापासर तथा पटवारी प0ह0 मूण्डसर को आदेश दिये जाते है। अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ....5/10/19.... को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

(कविता गोदारा)
तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार बीकानेर